MR. CHAIRMAN: Order, order.

KUMARI ABHA MAITI:... He has put a number of questions. Whatever information he wants I can supply him and the House...

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Tomorrow.

KUMARI ABHA MAITI: If I can gather it tomorrow I will give it tomorrow, otherwise you must give me time...

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: You are shielding corrupt entrepreneurs.

KUMARI ABHA MAITI: There is no question of shielding anybody.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: You are.

KUMARI ABHA MAITI: No.

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: I never liked to put any question to the Industry Minister so long since Mr. George Fernandes is the Industry Minister. But I am happy that today the lady Minister is answering the question. May I know who is this Sevanti Shah, this gentleman Chairman of the company? What is his qualification? What are the criteria for appointing him as Chairman and how much money is being spent on his amenities? This is my question.

KUMARI ABHA MAITI: This is a private company. There is no question of appointing somebody there from our behalf.

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: How much money is being spent on his amenities?

KUMARI ABHA MAITI: We have not spent any money.

MR. CHAIRMAN: It is a private company.

Duties performed by the CRP personnel

*448. SHRIMATI PRATIBHA SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the CRP force has to be constantly on the move and to perform duties in disturbed areas, where officers and men of this force have to remain on duty for as many as 12 to 15 hours a day;

(b) whether such strenuous duty is performed by the officers and men of this force during their entire service career; and

(c) if so, whether Government propose to fix some maximum period of service or age after which the CRP personnel may be given lighter duty to enable them to look after their family affairs?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) . (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल एक केन्द्रीय बल है जिसे देश मे विभिन्न राज्यो को कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य प्रशासनों की सहायता के लिए भेजा जाता है । इस प्रयोजन के लिए उसका गटन किया गया है और उसे बनाये रखा जा रहा है । अत. इसको आम तौर पर विक्षुब्ध परिस्थितियों में ड्यूटी देनी पड़ती है । यह सच नही है कि इसको निरन्तर चलते रहना पड़ता है ।

यह सच नहीं है कि अधिकारियो तथा कर्मचारियों को अपनी सम्पूर्ण सेवा के दौरान प्रतिदिन 12 से 15 घंटो तक कार्य करना पड़ता है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् । यूनिटों को अन्तरालों पर आराम तथा प्रशिक्षण के लिये विक्षुब्ध क्षेत्रों से ग्रुप केन्द्रों पर बारी-बारी से तैनात किये जाने के सदैव प्रयत्न किये जाते है ।

(ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों के लिये सेवा की कोई अधिकतम

अवधि या आयु निर्धारित करने और हल्की ड्यूटी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a) CRPF is a Central Force raised and maintained to be moved to various States in the country to assist the State administration in the maintenance of law and order. It has, therefore, to generally perform duties under disturbed conditions. It is not true that it is constantly on the move.

It is not true that the officers and men are required to work for 12 to 15 hours a day during their entire service.

(b) No, Sir. Efforts are always made to rotate the units at intervals from disturbed areas to Group Centres for rest and training.

(c) There is no proposal to fix any maximum period of service or age for CRPF personnel; nor is there any proposal to give them lighter duty.]

श्रीमती प्रतिभा सिंह सभापति महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश मे शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिये सी० आर० पी० का निर्माण किया गया है । सी० आर० पी० वालों को 12 से लेकर 15 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है । बिहार के अन्दर इस प्रकार की स्थिति चल रही है । वहां पर जो ला एण्ड आर्डर की स्थिति है और जो सुविधाएं जनता को मिल रही हैं उससे हम लोग भली प्रकार परिचित हैं । मैंने इस प्रश्न मे सीधी-सी यह बात पूछी है कि सी० आर० पी० के कर्मचारियों को सरकार की तरफ से क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहती हूं कि अपने जीवनभर इतने घंटों तक प्रति दिन काम करने के बदले उनके परिवार वालों को सुविधाएं देने उनके बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करने, उनको उचित पेंशन देने और अन्य सुविधाएं देने के बारे में सरकार क्या कर रही है ? मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहती हूं कि अगर ये सुविधाएं अभी तक नहीं दी गई हैं तो क्या सरकार भविष्य में ये सुविधाएं उनको देने के सम्बन्ध में कोई विचार कर रही है ? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि ये समस्त सुविधाएं देने के बारे में नियम बनाने या कानून बनाने के बारे में क्या सरकार कोई विचार कर रही है ?

श्री धनिक लाल मण्डल : महोदय, यह बात सही है कि सी० आर० पी० को बड़ी कड़ी ड्यूटी देनी पड़ती है और खास कर आज की जो परिस्थितियां है उनमें उन लोगों को जगह जगह जाना पड़ता है और कड़ी ड्यूटी देनी पड़ती है । जैसा कि माननीय सदस्या ने बिहार का उदाहरण दिया और दूसरे स्थानों के बारे में भी कहा, यह ठीक है कि इन लोगों को बड़ी कड़ी ड्यूटी देनी पड़ती है जब कभी भी उन लोगों को बड़ी कड़ी ड्यूटी देनी पड़ती हैं । या 12 से लेकर 15 घंटों की ड्यूटी देनी पड़ती है तो इस बात की जरूर चिन्ता की जाती है कि उनके काम के घंटों को घटा कर उनके आराम और प्रशिक्षण के लिए उचित व्यवस्था बराबर की जाय । हम इस बात को स्वीकार करते है कि पिछले दिनों में इसमे कुछ कमी आ रही है, ऐसा देखा जा रहा है । लेकिन फिर भी हम इस बात को सोच रहे है कि उनको आराम और प्रशिक्षण देने के लिए बराबर मौका मिले । उनको अपने परिवार की देखभाल के लिए पहले जो 45 दिन की छुट्टियां दी जाती थी उनको अब 60 दिन कर देने की और उनके बच्चों को पढ़ाने के सम्बन्ध में हमारे जो केन्द्रीय स्कूल हैं उनमें होस्टल आदि बनाने की व्यवस्था हो रही है । इसके साथ-साथ उनके कल्याण कामों के लिए और उनके परिवार के कल्याण कामों के लिए भी केन्द्रीय सरकार अनुदान देती रहती है । वे लोग खुद भी अपना फण्ड आदि इकट्ठा करके इस तरह के सेन्टर चला रहे है और वहां पर बहुत अच्छा काम हो रहा है । जितने भी उनके कल्याण के काम हम कर सकते है वे सब हम करेंगे ।

†[ ] English translation.

श्रीमती प्रतिभा सिंह: श्रीमन्, मैं विशेष कर मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि हमारी जो केन्द्रीय सरकार है वही एक आइडिल इम्प्लोयमेन्ट दे सकती है। मन्त्री महोदय इस बात से भली प्रकार से परिचित है कि हमारे पुलिस कर्मचारियों को जितनी सख्त ड्यूटी देनी पड़ती है उसके अनुसार उनको सुविधाएं नही मिल पाती हैं। ऐसी स्थिति में जबकि उनको हमारे देश में एक स्थान से दूसरे स्थान में काम करने के लिए जाना पड़ता है तो क्या सरकार उनके परिवार वालों के रहने के लिए आवास की कोई व्यवस्था कर रही है? दूसरी बात यह है कि आजकल जिस तरह की महंगाई है और जिस प्रकार से उन लोगों को कड़ी ड्यूटी देनी पड़ती है, इसलिए क्या आप उनको कोई विशेष भत्ता देने और अन्य सुविधाएं देने के बारे में व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे अच्छी प्रकार से रह सकें?

श्री धनिक लाल मण्डल: सभापति जी, जैसा कि मैंने कहा है, हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि उनको आराम देने और प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी होगी वह हम करेंगे। इन लोगों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था भी हम करेंगे। उनके आराम के घंटों मे कोई कमी न आए और उनके बच्चों को केन्द्रीय स्कूलों में होस्टल आदि की सुविधा मिल सके, इसके लिए हम व्यवस्था कर रहे है। उनके परिवारों के कल्याण कामों के लिए जो भी अनुदान हम दे सकते हैं, वह हम दे रहे है। इसके लिए फण्ड बढ़ाया जा रहा है। इस तरह उनके कल्याण के सारे काम हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य कोई सुझाव दें तो अच्छा रहेगा।

श्री सभापति: एकमोडेशन के बारे मे आप क्या कर रहे है।

श्री धनिक लाल मण्डल: श्रीमन्, यह भी हम कर र हैं।

श्री सवाई सिंह सिस दिया: श्रीमन्, मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह प्रश्न है और मैं यह जानना चाहता हूं कि सी०आर०पी० फर्स की स्थापना, इसका शुरूआत किस वर्ष में हुई और अभी वर्तमान मे इसकी संख्या कितनी है, आफिसर्स और दूसरे पर्सेनल्स की और इसकी स्थापना के बाद कितने कमीशन इनको सुविधा देने के लिए और इनकी जितनी भी कठिनाइयां है उन पर विचार करने के लिए स्थापित हुए। उनकी क्या रिपोर्ट है और आखिर में जो रिपोर्ट हुई है उनको क्या अमली रूप दिया गया है? मै यह भी जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय की दृष्टि से डिस्टर्ब्ड एरिया की क्या परिभाषा है? सी०आर०पी० का उपयोग किस किस समय और कहा कहा किया जा सकता है। क्या इसके बारे में कुछ निश्चित नियम शासन के है या नही है? और अभी इस वर्ष में इस फोर्स के ऊपर कितना खर्चा हुआ है? यह सारी जानकारी कृपया मंत्री महोदय देने का कष्ट करे।

श्री धनिक लाल मण्डल: महोदय, इस फोर्स की स्थापना राज्य सरकारों को मदद देने के लिए की गई है। राज्य सरकारों को, जब जो उनके रिसोर्सेज है वह स्थिति का मुकाबला करने के लिए कम होते हैं, या कम पड़ते हैं तो ऐसे समय राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती हैं और केन्द्रीय सरकार उनको मदद देती है ला एण्ड आर्डर को बनाए रखने के लिए और इसी दृष्टि से इस फर्स की स्थापना की गई है। महोदय, सी० आर० पी० की 60 बटालियन थी जिनमें से दो कम कर दी गई हैं। अब 58 बटालियन सी० आर० पी० की है जो कम कर रही है इस फोर्स से कई तरह के काम लिए जाते है। एक तो ला एण्ड आर्डर, जैसा कि मैंने कहा कि जब राज्य सरकारें अनुरोध करती है, ला एण्ड आर्डर को मेंटेन करने के लि

किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग नार्थ-ईस्ट में इमरजेंसी का मुकाबला करने के लिए किया जाता है जहा वह आर्मी आपरेशनल कन्ट्रोल में काम करती है। कठिन इलाकों मे इस फोर्स से काम लिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो बार्डर इलाके हैं वहां भी इससे काम लिया जाता है। इस प्रकार इस फोर्स से विभिन्न काम लिए जाते है। जो कमीशन बना है और उसकी क्या रिकमेंडेशंस है, इसके लिए मुझे नोटिस चाहिए।

श्री सवाईसिंह सिसोदिया : माननीय मंत्री जी तो इतना धीरे बोलते हैं। जरा जोर से बोलिये जिससे कि हम सुन सकें। मैंने मंत्री महोदय से कमीशन के बारे मे पूछा था कि कमीशन बैठा या नहीं बैठा था और उसकी क्या सिफारिशें है आप इसका जवाब दीजिए?

श्री धनिक लाल मण्डल : इसके लिए नोटिस चाहिए।

MR. CHAIRMAN: He requires notice.

DR. RAFIQ ZAKARIA: Sir, I would like to know from the Minister whether when there are communal disturbances, the CRP is sent to assist the State Police, or whether there have been occasions when on its own it has been sent. Secondly, in view of the recent statement made by the Prime Minister, not in regard to the CRP so much as about the PAC, that the representation of minorities in the personnel is very inadequate, I would like to know whether the same aspect is being taken into consideration as far as the CRP personnel is concerned. If so, what are the steps that are being taken in this regard in order to see that there is adequate representation of the minorities, particularly the Muslims, in this force also?

श्री धनिक लाल मण्डल : महोदय, जहां भी साम्प्रदायिक दंगे होते है वहां राज्य सरकार के अनुरोध पर सी० आर० पी० भेजते हैं। सी० आर० पी० के बारे में कहीं किसी भी राज्य से आज तक कोई शिकायत नहीं आई है न उन्होंने कोई पार्टिजन एटीट्यूड लिया है।

श्री रफीक जकारीया : मैंने आपसे यह बिल्कुल नहीं कहा है।

श्री धनिक लाल मण्डल : सी०आर०पी०के बारे में कई से कोई शिकायत नहीं आई है, बल्कि उसकी प्रशंसा की ही खबर आई है। हैदराबाद में पिछले दिनों जब सी०आर०पी० भेजी गई थी वहां की स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए तो सब तरफ से उसकी तारीफ की गई थी, लिखकर भेजा गया था। जहां तक मुसलमानों के रिप्रजेंटेशन का सवाल है, उनकी संख्या के अनुपात के मुकाबले में मैं नहीं कह सकता हूं परन्तु इतना अवश्य कह सकता हूं कि उनका रिप्रजटेशन है।

DR. RAFIQ ZAKARIA: Sir, he has not replied to my question. My question was specific—whether there is adequate representation of the minorities in it or not and in view of the fact that the Prime Minister has said in another context that this inadequate representation is not helpful, especially where the law and order situation gets deteriorated, where communal disturbances take place, whether any steps in this direction are being taken in conformity with the approach of the Prime Minister.

श्री धनिक लाल मण्डल : महोदय, एडीक्वेट रिप्रजेन्टेशन की परिभाषा मै नहीं जानता हूं। मैंने अपने उत्तर मे यह कहा है कि सी० आर० पी० में मुसलमान है यह हम कह सकते है।

DR. RAFIQ ZAKARIA: Sir, I am sorry; this is no reply. I referred to the approach of the Prime Minister which has been publicly made known, that there has to be adequate representation.

रिप्रजटेशन तो है पर दो मुसलमान है।

That is not a correct attitude. And I am emphasizing that that is not in conformity with what the Prime Minister has said, and therefore, I would like to know whether there is any thinking on these lines going on, and whether any steps are being taken, and, if so, what they are.

श्री धनिक लाल मण्डल : महोदय, इस सम्बन्ध मे बराबर ध्यान रखा जाता है कि मुसलमानों का रिप्रजेंटेशन हो।

श्री हरि शंकर भाभड़ा : सभापति महोदय, पिछले दो तीन दिनों से कांग्रेस (आई) सारे भारतवर्ष में हिंसा पर उतर आई है और तोड़-फोड़ की कार्यवाही कर रही है। मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसके लिए सी० आर० पी० को कितने घटे तक ड्यूटी देनी पड़ रही है और कौन कौन सी राज्य सरकार ने हिंसात्मक घटनाओं से निपटने के लिए सी० आर० पी० मांगी है?

श्री धनिक लाल मण्डल : जो माननीय सदस्य बोल रहे है, इसके सदर्भ में हमने कहा है कि अभी तक बिहार से रिक्वेस्ट आया है और कही से कोई रिक्वैस्ट नहीं आया है।

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Sir, I have only one question to ask. The CRP is a para-military force. Their duties are almost analogous to the duties of the regular Armed Forces. Will the honourable Minister assure the House that the amenities given to the CRP would be on a par with those given to the Armed Forces? And, in view of what my friend, Mr. Bhabhda, has said, that is, in view of the unleashing of the violence—there are forces which want to plunge this country into utter violence—(*Interruptions*) I want to know whether the CRP would be extended to deal with such violence.

श्री धनिक लाल मण्डल : महोदय, सी० आर० पी० को राज्य सरकार के अनुरोध पर ही भेजा जाएगा (*Interruptions*)

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने यह नही बताया कि आर्मी के बराबर फेसीलिटीज दी जायेंगी या नही?

श्री धनिक लाल मण्डल : इसके बारे में अभी मै कुछ नही बता सकता। जहां तक राज्यो में भेजने का सवाल है यह राज्य सरकारों के अनुरोध पर ही भेजा जाएगी।

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : आप वायलेंस को डील करने के लिए सी०आर०पी० को एक्सटेड करेंगे या नही?

(*Interruptions*)

SHRI KHURSHED ALAM KHAN: May I know from the honourable Minister whether it is not a fact that the CRP has not added to its reputation recently wherever it has been deployed? For instance, are you not aware that a large number of complaints were received about the role of the CRP along with the PAC at Aligarh during the recent communal riots?

श्री धनिक लाल मण्डल : सी०आर०पी० के बारे मे कोई शिकायत नही है।

श्री मनु भाई पटेल : महोदय, सी०आर०पी० जो राज्य सरकारों को साम्प्रदायिक दगों मे मदद करने के लिए भेजा जाता है लेकिन कभी कभी राज्यो में ऐसा होता है कि साम्प्रदायिक दगों के अलावा राजनीतिक दगे भी होते है और राजनीतिक गुंडे सी०आर०पी० पर हमला करते है और हमला करके हिंसा करते है और जान हानि करते है जैसे कि यह लोग दो रोज से कर रहे है।... (*Interruptions*) तो ऐसे समय में. . . .

श्री अनंत प्रसाद शर्मा : आपको शर्म आनी चाहिए। (*Interruptions*)

श्री मनुभाई पटेल: सी०आर०पी० को अपनी सुरक्षा के लिए क्या ज्यादा हक दिया जाएगा। ताकि दो रोज से जो सारे देश में कांग्रेस (आई) वायलेंस कर रहे हैं उसको हम मिटा सके ? (*Interruptions*)

SHRI SAT PAUL MITTAL: Some words he has used...(*Interruptions*).

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: Shri Patel has to prove it. Either he has to prove as to who is doing this or you should expunge his words.....(*Interruptions*)

SHRI MANUBHAI PATEL: They cannot escape their responsibility... (*Interruptions*). It has already been proved...(*Interruptions*)

श्री कल्प नाथ राय : जनतंत्र के हत्यारे हो। प्रजातन्त्र की हत्या कर रहे हो तुम तानाशाह हो, तुम्हारे प्रधान मंत्री तानाशाह है। प्रधान मंत्री की तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी।

(*Interruptions*)

SHRI YOGENDRA MAKWANA: You have to expunge the words which he has used....

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Order, please... (*Interruptions*). Let me...

SHRI GHOUSE MOHIUDDIN SHEIKH: Those words should be expunged....

MR. CHAIRMAN: Please hear me. What words ... (*Interruptions*). Please hear me. Let there be order. Please hear me. If you create noise, how can you hear me? If any wrong words are used, I will look into the records and I will correct them. Do not worry about it....(*Interruptions*)

SHRI PILOO MODY: No wrong words were used. Only right words were used.

SHRI KALP NATH RAI: He said 'goondas'.

MR. CHAIRMAN: Shri Hashmi.

SHRI MANUBHAI PATEL: Let my question be answered before that.

MR. CHAIRMAN: He wants to ask a supplementary.

SHRI MANUBHAI PATEL: The Minister has not replied to my question.

MR. CHAIRMAN: He is not prepared to reply to your question. I asked him twice.

SHRI MANUBHAI PATEL: He is prepared to reply.

श्री धनिक लाल मण्डल : सभापति जी, उन्होंने कहा (*Interruptions*) राज्य सरकारों के अनुरोध पर जब सी० आर० पी० भेजा जाता है तो वहां के अफसरों को सी० आर० पी० को सर्फ़िशियंट पावर उन चीजों से निपटने के लिए होती है (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Could you hear?

SHRI MANUBHAI PATEL: I could not hear because they were shouting. I want to hear the reply. Let them not shout.

MR. CHAIRMAN: Let there be order so that the Minister can reply and the hon. Members can hear.

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: To which question he is going to reply? Let him ask the question.

MR. CHAIRMAN: He has put his question.

SHRI MANUBHAI PATEL: I have already asked the question. They were interrupting me.

MR. CHAIRMAN: You were not careful enough to hear the question.

श्री धनिक लाल मण्डल : सी०आर०पी० जब राज्य सरकारों के अनुरोध पर भेजी जाती है तो उनको वहां डाइरेक्शन के अनुसार काम करना होता है।

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: Are you going to call me?

MR. CHAIRMAN: Yes, I will call you after he finishes his supplementary. Mr. Hashmi.

شری سید احمد هاشمی : مسٹر چیرمین سر — مجھے انتہائی افسوس ہے کہ آنریبل منسٹر سے جو کہ ایک اسپیسفک کوسچن پوچھا جاتا ہے - اس کا براہ راست اور ڈائریکٹ جواب نہیں دیئے ہیں - ہمارے دوست ذاکریا صاحب نے ایک کوسچن کیا اس کا جواب براہ راست نہیں دیا لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت ملک میں کتنی جگہ کمیونل رائٹس ہیں جہاں سی - آر - پی بھیجی گئی ہے - دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات کو اسپیسفکلی بتائیں مصدقہ طور پر کہ کیا واقعی سی - آر - پی کے اندر مائنریٹی اور خصوصاً مسلمانوں کا ہر طبقہ سے مناسب ریپرزنٹیشن ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے وکیا پرائم منسٹر جنہوں نے اشورنس دیا ہے یقین دہانی کی ہے کہ بی - اے - سی اور سی - آر- پی اس قسم کی فورسیز میں مائنریٹی اور مسلمانوں کو مناسب طریقہ سے ریپرزنٹیشن دیا جائیگا - تو کیا وہ اشیور کرتے ہیں - یقین دہانی کرتے ہیں کہ اس پر عمل ہوگا اور عمل ہوگا تو کب تک ہوگا — ?

†[जश्री सैयद अहमद हाशमी : मिस्टर चेयरमैन सर । मुझे इन्तहाई अफसोस है कि आनरेबल मिनिस्टर से जो कि स्पेसीफिक क्वेश्चन पूछा जाता है उसका बराहेरास्त और डायरेक्ट जवाब नही देते है । हमारे दोस्त ज़करिया साहब ने एक क्वेश्चन किया उसका जवाब बराहेरास्त नही दिया लेकिन मै इनसे यह पूछना चाहूंगा कि उस वक्त मुल्क में कितनी जगह कम्युनल रायट्स हैं जहां पर सी० आर० पी० भेजी गई है । दूसरी बात यह है कि वे इस बात को स्पेसिफिकली बताये मसद्दका तौर पर कि क्या वाकई सी० आर० पी० के अन्दर मायनोरिटी और खसूसन मुसलमानों का हर तरीके से मुनासिब रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है । अगर नही है तो क्या प्राइम-मिनिस्टर जिन्होंने एश्योरेंस दिया है यकीनदहनी की है कि पी० ए० सी और सी० आर० पी० इस किस्म की फोर्सेस मे मायनोरिटी और मुसलमानों को मुनासिब तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया जायेगा—तो क्या वे एश्योर करते है, यकीन-दहनी करते है कि इस पर अमल होगा और अमल होगा तो कब तक होगा ?]

श्री धनिक लाल मण्डल : साम्प्रदायिक दंगों में, महोदय, जैसा मैंने बताया कि जहां से, जिन राज्य सरकारों से अनुरोध आता है, मैंने उदाहरण दिया है आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने सी० आर० पी० की मांग को हमने उसको भेजा, उत्तर प्रदेश ने मांग की हमने उनको भेजा, जहा तक साम्प्रदायिक दंगों का सम्बन्ध है उनको वहां भेजा तो साम्प्रदायिक दंगों में सी० आर० पी० भेजी जाती है । यह मैंने स्वीकार किया । महोदय, सी० आर० पी० मे रिप्रेजेन्टेशन के बारे मे प्रधान मन्त्री का जो आश्वासन है उस पर बराबर ध्यान रखा जाता है ।

شری سید احمد هاشمی : مسٹر چیرمین - آنریبل منسٹر نے کہا

†[ ] Devnagri transliteration.

هی نہیں وہ یہ بات پروفیس بھی کرتے ہوں —

†[**श्री सैयद अहमद हाशमी** : मिस्टर चेयरमैन, आनरेबल मिनिस्टर ने कहा ही नही वे यह बात प्रोफेस करते है...]

DR. RAFIQ ZAKARIA: A question was asked whether there was adequate representation. He does not answer that. Let him say that there is not adequate representation. Sir, I seek your protection. The Minister must specifically say that there was not adequate representation, and that he proposed to take certain steps or he does not propose to take any steps... (*Interruptions*)

شری سید احمد هاشمی : کہہ دیں صاحب—ریپریزنٹیشن نہیں ہے -

†[**श्री सैयद अहमद हाशमी** : यह कह दें कि साहब रिप्रेजेंटेशन नहीं है ।

श्री धनिक लाल मण्डल : हमने स्पेसिफिकली कहा है कि सी० आर० पी० में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन है । माननीय सदस्य जो एडिक्वेट शब्द का इस्तेमाल करते है उसकी क्या परिभाषा है और मैंने...

SHRI KALYAN ROY: West Bengal is not in the CRP.

डा० रफीक जकरिया : यह शब्द प्राइम मिनिस्टर ने इस्तेमाल किया है ।

श्री धनिक लाल मंडल : मैंने कहा कि उनके विषय में जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के आश्वासन के बाद हम लोग इसका ख्याल कर रहे है कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिले ।

क्या ख्याल कर रहे है ?

†[ ] Devanagari transliteration.

DR. RAFIQ ZAKARIA: In view of the assurance given by the Prime Minister, it is a very old commitment and they are not prepared... (*Interruptions*)

شری سید احمد هاشمی : کتنا ریپریزنٹیشن ہے اور کتنے پرسنٹ ہے -

†[**श्री सैयद अहमद हाशमी** : कितना रिप्रेजेंटेशन है और कितने परसेंट है ?]

MR. CHAIRMAN: The Minister does not know exactly what is the proportion.

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether there is any age limit prescribed for retirement of CRP personnel and the number of years of service to earn retirement benefits, pension etc.

श्री धनिक लाल मंडल : जो और सेवा मे है वही यहा भी लागू होता है, महोदय ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : कितनी उमर के बाद रिटायर करेंगे और कितने नम्बर आफ यियर्ज की सर्विस के बाद रिटायरमेंट बेनेफिट देंगे ?

श्री धनिक लाल मंडल : जो दूसरी सेवाओं मे 55 वर्ष की एज है वह यहां भी है ।

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: The number of years of service—minium age.... (*Interruptions*)

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : आर्मी मे अलग है... (*Interruptions*)

Sir, there is difference in the case of the Army. There is a limited number of years of service in the Army. I want to know about the C.R.P. What is the number of years of service they have to put in to each such benefits.... (*Interruptions*)

श्री धनिक लाल मंडल : 55 वर्ष की आयु में उनको रिटायर कर दिया जाता है ।

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: What is the answer to my question? The minimum age for earning retirement benefits...

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Have you got the details about the age, etc?

(Interruptions)

SHRI ANANT PRASAD SHARMA: I have asked about the minimum number of years of service. If he does not know he should...

(Interruptions)

SHRI MORARJI DESAI: Let me say, Sir, that this is the C.R.P., which we have inherited from them. Before we took over, the C.R.P. was there. For the details, let them give notice, and the details will be given...

(Interruptions)

SHRI N. G. RANGA: What are those conditions? We do not know....

(Interruptions)

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : माननीय सभापति जी, संविधान की धारा 331 के आधार से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सरकारी नौकरियों में संरक्षण है । सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस सीधे-सीधे केन्द्र सरकार की देखरेख में आती है । माननीय प्रधान मन्त्री यहां स्वयं विराजमान हैं । मेरा विश्वास है कि वे यह कह कर मेरे सवाल को नहीं टाल देंगे कि उन्होंने सी० आर० पी० कांग्रेस सरकार-जिसमें वह भी रह चुके हैं, और 18 वर्ष रह चुके हैं—विरासत में पायी है । मैं यह पूछना चाहता हूं श्रीमन्, कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग जिनके लिए नौकरियों में संरक्षण, 22.5 फीसदी, संविधान के द्वारा रखा गया है, इस सी० आर० पी० में क्लास वन और क्लास टू तक सिपाही से लेकर कितने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का रेप्रेजेंटेशन है ?

MR. CHAIRMAN: The hon. Member should know that the question is in a different perspective. These details cannot be given by the hon. Minister. If you put a specific question, he can be in a position to reply.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: I require notice.

Import of watches by the H. M. T.

*449. DR. V. P. DUTT:†
SHRIMATI SAROJ KHAPARDE:
SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of watches imported by the Hindustan Machine Tools Limited during the year 1977-78 and till the 30th November in 1978-79;

(b) the names of the countries from where the watches were imported and the price paid by the H.M.T. for them;

(c) whether it is a fact that the H.M.T. is earning huge profits on sale of their watches; if so, what is the percentage of profit; and

(d) what is the number of confiscated watches which the H.M.T. got from the customs authorities during the above period and at what cost?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): (a) Facility to import assembled watches was given to HMT in 1977-78 This facility was provided, in addition to imports of components, to augment

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. V. P. Dutt.